






<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>
<p>13-8-24</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। न्यायालय में राजस्व आवेदन दिनांक 29.04.2022 को दर्ज करने के बाद प्रार्थी वकील को विप्रार्थीगण के नोटिस भेजने के आदेश दिये गये थे। परन्तु प्रार्थी वकील द्वारा आज तक विप्रार्थीगण के नोटिस पेश नहीं किये। प्रार्थी वकील को नोटिस तामिली कई अवसर दिये जाने बावजूद भी प्रार्थी वकील ने विप्रार्थीगण के नोटिस पेश नहीं किये। लगभग दो वर्ष तीन माह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी विप्रार्थीगण की तलबी पूर्ण नहीं करवाई, तलबी के अभाव उक्त प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के तहत प्रार्थी का राजस्व आवेदन अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकांश धोरीगन्ना, बाड़मेर </p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकांश धोरीगन्ना, बाड़मेर </p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकांश धोरीगन्ना, बाड़मेर </p> <p style="text-align: right;">  </p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकांश धोरीगन्ना, बाड़मेर </p>